न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –29/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00077

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

मोहनलाल आत्मज कन्हैयालाल सुनार निवासी चेचट मृतक जरिये का0मु0

1. प्रहलाद आत्मज मोहनलाल
2. मनीष आत्मज मोहनलाल
3. हरीश आत्मज मोहनलाल
4. हेमलता पुत्री मोहनलाल
5. टीना कुमारी पुत्री मोहनलाल
6. रतनी बाई पुत्री मोहनलाल

निवासीगण ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् ।

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 28 /08/2024

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी मोहनलाल आत्मज कन्हैयालाल को ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 475 रकबा 0.28 हे0 भूमि दिनांक 07.07.1982 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । आवंटी अप्रार्थी फोत होने पर पटवारी हल्का द्वारा कायम मुकामान की सूचना प्रस्तुत की गई कायम मुकामान रेकार्ड पर लिये जाकर नोटिस जारी किये गये । नोटिस आवंटी के कायम मुकामान को बाद तामिल प्राप्त किन्तु अप्रार्थीगण कोई उपस्थित नही हुए । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम चेचट तह0 रामगंजमण्डी की नम्बर 475 रकबा 0.28 हे0 भूमि दिनांक 07.07.1982 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है ओर ना ही आवंटित भूमि में कोई रूचि है । अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 475 रकबा 0.28 हे0 भूमि दिनांक 07.07.1982 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से जाहिर है कि उनके द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जा रही है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की गई है । अतः प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 475 रकबा 0.28 हे0 भूमि आवंटी अप्रार्थी के कब्जे काश्त में नहीं पाया जाने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन पाया जाने से अप्रार्थी के हक में दिनांक 07.07.1982 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायंचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 26.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा